हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

बुलेटिन-भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों सम्बन्धी सामान्य सूचना)

17 नवम्बर, 2015 /26 कार्तिक, 1937 (शक्)

संख्या : 311

उपस्थिति रजिस्टर

संविधान के अनुच्छेद 190(4) के अनुसार यदि राज्य विधान-मण्डल का सदस्य सदन की आज्ञा के बिना सभी बैठकों से 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उस अवस्था में सदन में उसका स्थान खाली घोषित हो जाता है। इसलिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों की उपस्थिति का रजिस्टर रखना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का ध्यान ''हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973'' के नियम, 288 तथा 289 की ओर आकर्षित किया जाता है। माननीय सदस्यों को निर्धारित दिन के लिए सदन की बैठक स्थगित होने से पूर्व अपनी उपस्थिति ''उपस्थिति रजिस्टर'' में अवश्य अंकित करनी होगी। उपस्थिति का रजिस्टर सदन की बैठक प्रारम्भ होने से एक घण्टा पहले सदन की पक्ष एवं विपक्ष की लॉबी में प्रस्तुत कर दिया जाता है। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि सदन की बैठक में उपस्थित होने पर और स्थगन से पहले निर्धारित रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दें। आगामी दिन हस्ताक्षर करने सम्भव नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त सभा में सदस्यों के टेबल पर लगी टच स्क्रीन में प्रवेश लॉगिन करने से उनकी उपस्थिति द़र्ज हो जाएगी । इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेता है लेकिन वह अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो भी उस सदस्य को उस दिन उपस्थित समझा जायेगा ।

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।